राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांकः प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019

जयपुर, दिनांकः 04-06-2019

आदेश

सचिव महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 16.10.2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल संचालन, प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं निगरानी करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा-निर्देश अक्टूबर, 2018 के बिन्दु संख्या 16 के अनुबंध iX (क) के अनुसार राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन एतद द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.स.	समिति में शामिल सदस्य	पद
1	प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि	अध्यक्ष
2	निम्नलिखित विभागों के अधिकारी जो संयुक्त शासन सचिव से अनिम्न स्तर के हो :- i. आयोजना विभाग। ii. पंचायती राज विभाग। iii. ग्रामीण विकास विभाग। iv. महिला और बाल विकास विभाग। v. शिक्षा विभाग। vi. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। vii. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। viii. गृह विभाग। ix. सार्वजनिक निर्माण विभाग। x. जल संसाधन विभाग। xi. उर्जा विभाग। xii. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। xiii. अन्य संबंधित विभाग, यदि कोई हो।	सदस्य
3	उन जिलों के जिला पीएमएजीवाई कार्यक्रम निदेशक जिनके गांव को कवर किया जा रहा है।	सदस्य
4	राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि।	सदस्य
5	राज्य स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रमुख।	सदस्य
6	राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि।	सदस्य
7	आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि	सदस्य सचिव

राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वांगिण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित संचालित

योजनाओं को लागू करने एवं उनके पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग, मार्ग–दर्शन एवं निगरानी के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दिशा–निर्देशों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार प्रपत्र I to VIII के अनुसार करेगी। अभिसरण समितिया योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी दोनों के लिए उत्तरदायी होगी। प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठकों का आयोजन करेंगी। समिति का कार्य काल स्थायी होगा। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

5/6/19

(डॉ0 प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.6(21)प्र.सु./अनु.3/2019

जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामिण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, संबंधित प्रमुख शासन सचिव,..................................विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, संबंधित शासन सचिव,..............................विभाग राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयुपर।
9. जिला कलक्टर, (डुंगरपुर एवं प्रतापगढ को छोडकर) समस्त राजस्थान।
10. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. अति निदेशक, एससीएसपी, मुख्यालय।
14. अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यालय।
15. प्रतिनिधि संबंधित संस्था।
16. अन्य विभाग/आयोग के प्रतिनिधि।
17. राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि।
18. जिला पीएमजीएवाई कार्यक्रम निदेशक।
19. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं.8()एसीएसपी/पीएमएजीवाई/सान्याअवि/2019/9433.

5/6/19

(के.के.खण्डेलवाल)
सहायक शासन सचिव